प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1--सहायक निदेशक मत्स्य/
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
बिजनौर/शाहजहांपुर/फर्रुखाबाद/इटावा/फतेहपुर/बांदा/हरदोई/मऊ/
महाराजगंज/कुशीनगर/अम्बेडकर नगर/चन्दौली/चित्रकूट।
2-- उप निदेशक मत्स्य,
मेरठ/बरेली/मुरादाबाद/कानपुर/प्रयागराज/झांसी/गोरखपुर/वाराणसी/
मिर्जापुर/आजमगढ़/अयोध्या।

पत्रांकः– 983 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019–20 दिनांक– 10 जून, 2019

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 854/नि0शा0/रा0कृ0 वि0यो0 दिनांक 24.05.2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 524/12–3–2019–100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु अवमुक्त रू0 186.00 लाख में से रू0 184.148 लाख संलग्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अग्रिम आहरण करने पर स्वयं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से व्यय की जायेगी।
3. परियोजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 524/12–3–2019–100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के प्रस्तर–2 से 9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2401--फसल कृषि फर्म --800–अन्य व्यय–02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनायें "27" सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 85 पर अंकित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019–20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग–3 को शासनादेश संख्या 524/12–3–2019–100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के सन्दर्भ में।
4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, हापुड़/बदायूं/सम्भल/कानपुर देहात/प्रयागराज/झांसी/वाराणसी/जौनपुर/मिर्जापुर/गोरखपुर/बलिया/अयोध्या/गोण्डा/सुल्तानपुर/बाराबंकी/छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (अमेठी)।
9. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल में रखने हेतु।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-05/06/2019

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-Enhancement of Fish Production
अनुदान संख्या:- 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)
08 - मत्स्य पालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		27 [illegible]	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुड़	वर्तमान प्रगामी	837600 837600	837600 837600
2	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	800000 1100000	800000 1100000
3	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 1100000	800000 1100000
4	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	680000 680000	680000 680000
5	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	240000 300000	240000 300000
6	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	427200 727200	427200 727200
7	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	317200 317200	317200 317200
8	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	500000 800000	500000 800000
9	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 400000	400000 400000
10	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	200000 200000	200000 200000
11	झांसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 1800000	600000 1800000
12	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	640200 700200	640200 700200
13	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	800000 800000	800000 800000
14	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	800000 800000	800000 800000
15	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	620000 3220000	620000 3220000
16	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	542000 842000	542000 842000
17	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	220000 220000	220000 220000
18	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 400000	400000 400000
19	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	800000 2800000	800000 2800000
20	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	640000 640000	640000 640000

Scanned by CamScanner

S.No	अधिकारी/जनपद का नाम		27-सब्सिडी	योग
21	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	800000 800000	800000 800000
22	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	2274000 2274000	2274000 2274000
23	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	360000 360000	360000 360000
24	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
25	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	674000 674000	674000 674000
26	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	660000 1460000	660000 1460000
27	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	270000 2570000	270000 2570000
28	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	920000 920000	920000 920000
29	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	592600 892600	592600 892600
	योग	वर्तमान प्रगामी	18414800 29234800	18414800 29234800

(वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौरासी लाख चौदह हजार आठ सौ

- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ बानवे लाख चौंतीस हजार आठ सौ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–सहायक निदेशक मत्स्य/
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
बिजनौर/शाहजहांपुर/फर्रुखाबाद/इटावा/फतेहपुर/बांदा/हरदोई/मऊ/
महाराजगंज/कुशीनगर/अम्बेडकर नगर/चन्दौली/चित्रकूट।
2– उप निदेशक मत्स्य,
मेरठ/बरेली/मुरादाबाद/कानपुर/प्रयागराज/झांसी/गोरखपुर/वाराणसी/
मिर्जापुर/आजमगढ़/अयोध्या।

पत्रांकः– /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019–20 दिनांक–10 जून, 2019

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 854/नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0 दिनांक 24.05.2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 524/12–3–2019–100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु अवमुक्त रू0 186.00 लाख में से रू0 184.148 लाख संलग्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अग्रिम आहरण करने पर स्वयं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से व्यय की जायेगी।
3. परियोजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 524/12–3–2019–100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के प्रस्तर–2 से 9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि फर्म –800–अन्य व्यय–02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनायें "27" सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 85 पर अंकित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– 983 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019–20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग–3 को शासनादेश संख्या 524/12–3–2019–100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के सन्दर्भ में।
4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, हापुड़/बदायूं/सम्भल/कानपुर देहात/प्रयागराज/झांसी/वाराणसी/जौनपुर/मिर्जापुर/गोरखपुर/बलिया/अयोध्या/गोण्डा/सुल्तानपुर/बाराबंकी/छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (अमेठी)।
9. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल में रखने हेतु।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

संख्या-524/12-3-2019-100(41)/2008

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: 20 मई, 2019

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन की योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./77/लेखा-8/2019-20, दिनांक 29.04.2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि रू0-482.52 लाख (रू0 चार करोड़ बयासी लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार परियोजना के लिए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि रू0 लाख में

क. सं.	योजना का नाम	एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक	अनुमोदित धनराशि	लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	Establishment of Fish Seed Rearing	10.05.18	450.00	अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म - 800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208-मत्स्य पालन की योजनाएँ 27-सब्सिडी	115.92
2	Enhancement of Fish production through additional area coverage for fresh water fish culture	10.05.18	1600.00	अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म - 800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208-मत्स्य पालन की योजनाएँ 27-सब्सिडी	186.00
3	Pangasius Farming in Low Cost Recirculatory Aquaculture System (RAS)	10.05.18	1500.00	अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म - 800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208-मत्स्य पालन की योजनाएँ 27-सब्सिडी	180.60
				कुल योग	482.52

(रू0 चार करोड़ बयासी लाख बावन हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही कियें जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, मत्स्य विभाग का होगा।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय एवं धनराशि का व्यय तद्नुसार ही किया जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

7- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर

Scanned by CamScanner

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जाएगी, यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

9— स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या–बी–1– 1195/दस–16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10— वित्त लेखा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–ए–1–285/दस–2012–10(29)/2011टी.सी.–।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या–1–11011/58/2013–डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

11— निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

12— स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक/निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

13— उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

14— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/बी–1–02/दस–2017– 231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018, दिनांक 30.03.2018, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–03/2018/बी–1–438/दस–2018–231/2018, दिनांक 24.04.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

सं0–524(1)/12–3–2018–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2— महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4— संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5— अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6— निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7— समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
8— कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9— संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
10— वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11— वित्त नियंत्रक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12— सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
13— नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
14— वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–1/कृषि अनुभाग–5/नियोजन अनुभाग–3
15— शासनादेश की वेबसाइट **http://shasanadesh.up.nic.in** पर अपलोड करने हेतु।
16— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1—सहायक निदेशक मत्स्य/
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
बिजनौर/शाहजहांपुर/फर्रूखाबाद/इटावा/फतेहपुर/बांदा/हरदोई/मऊ/
महाराजगंज/कुशीनगर/अम्बेडकर नगर/चन्दौली/चित्रकूट।
2— उप निदेशक मत्स्य,
मेरठ/बरेली/मुरादाबाद/कानपुर/प्रयागराज/झांसी/गोरखपुर/वाराणसी/
मिर्जापुर/आजमगढ़/अयोध्या।

पत्रांकः— /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019—20 दिनांक— 10 जून, 2019

विषयः— राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019—20 में अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 854/नि0शा0/रा0कृ0 वि0यो0 दिनांक 24.05.2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या 524/12—3—2019—100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु अवमुक्त रू0 186.00 लाख में से रू0 184.148 लाख संलग्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः—

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अग्रिम आहरण करने पर स्वयं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से व्यय की जायेगी।
3. परियोजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 524/12—3—2019—100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के प्रस्तर—2 से 9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि फर्म –800–अन्य व्यय–02–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0208–मत्स्य पालन की योजनायें "27" सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 85 पर अंकित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– 983 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2019–20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग–3 को शासनादेश संख्या 524/12–3–2019–100(41)/2008 दिनांक 20.05.2019 के सन्दर्भ में।
4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, हापुड़/बदायूं/सम्भल/कानपुर देहात/प्रयागराज/झांसी/वाराणसी/जौनपुर/मिर्जापुर/गोरखपुर/बलिया/अयोध्या/गोण्डा/सुल्तानपुर/बाराबंकी/छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (अमेठी)।
9. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल में रखने हेतु।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned by CamScanner